न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 183/2026

सद्दाम खान पुत्र श्री फुम्मन खान, उम्र करीबन 36 साल, निवासी ईटाराणा रोड, ग्राम सामोला, जिला अलवर (राज.)

---**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---**विपक्षी/अभियोगी**

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री हेमराज गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 30.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त सद्दाम खान की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादिया सोनिया, उप-निरीक्षक ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 10.01.2026 को वह मय जाब्ता के थाने से रवाना होकर गश्त करती हुई एस.एम.डी. सर्किल पहुंचा, जहां पर जरिये दूरभाष प्राप्त सूचना पर वह सामोला चौराहा के पास पहुंची तो वहां मुखबिर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति नजर आया, जो पुलिस जीप को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे जाब्ता की मदद से पकडा व नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम अरबाज खान बताया। उक्त शख्स से साईबर ठगी में प्रयोग में लिये जा रहे अपने

खाता संख्या 360001000007315 के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने खाता इण्डियन ओवरसीज बैंक कटीघाटी अलवर में करीब डेढ महीने पहले ही खुलवाया था। उक्त बैंक खाता को साईबर ठगी में उपयोग में लेने के बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर उक्त बैंक खाता नंबर को NCRP पोर्टल पर चैक करवाया तो उक्त खाता पर कुल 08 साईबर शिकायतें दर्ज होना पाई गई, जिनमें उक्त शख्स द्वारा सामान बेचने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करना पाया गया। उक्त शख्स की तलाशी लेने पर उसके पास मिले मोबाईल को चैक किया तो विभिन्न एप्प डाउनलोड होना तथा चैट डिलीट पाई गई। उक्त शख्स द्वारा आम लोगों को सामान बेचने का झांसा देकर साईबर ठगी करना पाया गया। .....इत्यादि।

3- उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर पर अपराध अंतर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान सह-अभियुक्त अरबाज के विरूद्ध आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपनी गिरफतारी का भय होने के कारण यह अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में गलत व झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें साईबर अपराध में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का नाम अरबाज खान होना पुलिस ने अंकित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई साईबर अपराध कारित नहीं किया गया है, न ही इस संबंध में पुलिस अनुसंधान पत्रावली पर कोई साक्ष्य है। पुलिस, बिना किसी आधार के प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने पर आमदा है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि अनुसंधान में सह-अभियुक्त अरबात का साईबर अपराध में लिप्त होना पाया गया है, जिसके विरूद्ध 08 साईबर अपराध की शिकायतें दर्ज है। अनुसंधान में यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि सह-अभियुक्त अरबाज के खाते को प्रार्थी/अभियुक्त सद्दाम खान साईबर अपराध के काम में लेता था और साईबर फ्रॉड से प्राप्त होने वाली राशि का 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में सह-अभियुक्त अरबाज को देता था। प्रार्थी/ अभियुक्त साईबर अपराध में लिप्त रहा है, जो सह-अभियुक्त अरबाज के साथ मिलकर साईबर अपराध कारित करता है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 07 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	392/2016 अरावली विहार, अलवर	-	-	16/54 R.Ex. Act	-	-	-
2.	121/2017 अरावली विहार, अलवर	-	-	4/25 Arms Act	-	-	-
3.	931/2017 कोतवाली, अलवर	-	-	379 I.P.C.	-	-	-
4.	321/2016 अरावली विहार, अलवर	-	-	379 I.P.C.	-	-	-
5.	393/2017 श्यामनगर, जयपुर दक्षिण	-	-	379, 483 I.P.C.	-	-	-
6.	650/2022 अरावली विहार, अलवर	-	-	8/20 N.D.P.S. Act	-	-	-
7.	763/2022 अरावली विहार, अलवर	-	-	8/20, 8/25 N.D.P.S. Act	-	-	-

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध छोटे संगठित अपराध में लिप्त रहकर, आपराधिक षडयंत्र रचकर, सोशल मीडिया एप्प के माध्यम से विभिन्न लोगों को छल से प्रवंचित कर, उन्हें झांसे में लेकर, ठगी से रूपये प्राप्त करने संबंधी धारा 318(4), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त का साईबर अपराध में लिप्त होना तथा सह-अभियुक्त अरबाज खान को साईबर अपराध हेतु खाता उपलब्ध कराने की एवज में उसे 10 प्रतिशत कमीशन देना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त से उक्त खाते के संबंध में अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी 07 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित करती है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र श्री फुम्मन खान की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)

9- आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)